उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-14
संख्या- 517/एक-14-2020
लखनऊः दिनाँक 13 अगस्त, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-44 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करतीं हैं कि ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के 'स्वामित्व योजना' के अधीन प्रत्येक जिला का जिला मजिस्ट्रेट, पदेन अभिलेख अधिकारी होगा और प्रत्येक तहसील का उप जिला मजिस्ट्रेट, पदेन सहायक अभिलेख अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनाँक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1171/9-36(2)/2020 दिनाँक 24 जुलाई, 2020 के संदर्भ में।
2. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज को अधिसूचना सं0-517/एक-14-2020 दिनाँक 13 अगस्त, 2020 की प्रति सहित इस अनुरोध के प्रेषित कि अधिसूचना को शासकीय साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित गजट अधिसूचना की 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/अभिलेख अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप मजिस्ट्रेट/सहायक अभिलेख अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिला मजिस्ट्रेट)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-14

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 517 /1-14/2020, Dated 13 August, 2020.

NOTIFICATION

No. 517 /1-14/2020
Lucknow: Dated: 13 August , 2020.

In exercise of the powers under section 44 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (Uttar Pradesh Act No. 8 of 2012) the Governor is pleased to declare that the District Magistrate of each district shall be ex-officio Record Officer and Sub Divisional Magistrate of each Tehsil shall be ex-officio Assistant Records Officer under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the village Abadi areas.

By order,

(Renuka Kumar)
Upper Mukhya Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।